

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू  
सचिव एवं राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-१०

विषयः वर्ष २०१२-१३ में राज्य आपदा मोचक निधि से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प० संख्या-३९१२/राहत लिपिक, दिनांक-२९ अगस्त, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष २०१२-१३ में राज्य आपदा मोचक निधि से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना आदि मद में शासनादेश संख्या-१२५६/१-१०-१२-३३(६२)/२०१२, दिनांक १४ मई, २०१२ द्वारा अन्य जनपदों के साथ जनपद बाराबंकी को विभिन्न विभागों के लिए मांगी गयी/स्वीकृत धनराशि रु० १३,५३,४००/- व रु० १,६३,०००/- के सापेक्ष ५० प्रतिशत धनराशि क्रमशः रु० ६,७६,७००/- एवं रु० ८१,५००/- स्वीकृत की गयी थी। इसके अनुक्रम में आपके उक्त पत्र दिनांक २९.०८.२०१२ द्वारा निर्माण खण्ड नं०-१, लो०नि०वि० बाराबंकी (लोक निर्माण विभाग) के ०१ कार्य हेतु अवशेष धनराशि रु० १,५४,०००/- बेसिक शिक्षा विभाग के ०१ कार्य हेतु अवशेष धनराशि रु० २५,७००/- तथा बाढ़ कार्य खण्ड, गोण्डा (सिंचाई विभाग) के ०१ कार्य हेतु अवशेष धनराशि रु० ४,९७,०००/- तथा सी०डी०-३ पी०डब्ल०डी० के ०१ कार्य हेतु अवशेष धनराशि रु० ८१,५००/- की मांग की गयी है। अतः निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में अवशेष धनराशि कुल धनराशि रु० ७,५८,२००/- (रुपये सात लाख अट्ठावन हजार दो सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहष अद्वितीय प्रदान करते हैं।

२. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक “२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय” के नामे डाला जायेगा।

३. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्ष के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन

२१

ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी परियोजना हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-७८/पी०ए०आ००/२०१२, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/२०११-NDM-१, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं० सं० 2785 / १-१०-२०११-१२(७३) / २००८, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं० १३४९ / १-१०-२०१२-१२(७३) / २००८, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक अनुपालन सुनिश्चित करने के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।


6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीड़ी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा कराना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित निर्धारण करना, आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-१६९३ / १-११-२००५-रा०-११, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/३१ मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकर कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,  
  
(एल० वेंकटेश्वरलू)  
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : २५८६ / १-१०-२०१२-३३(६२) / २०१२ टी०सी०-३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2- आयुक्त, फैजाबाद मंडल, फैजाबाद/प्रमुख सचिव, सिंचाई/ल०नि०वि०/बेसिक शिक्षा विभाग/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई/ल०नि०विभाग
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बाराबंकी।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Rnd.  
( आर० एन० द्विवेदी )  
अनु सचिव।  
२५